मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015 (आषाढ़ 30, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. भर्त्सना

श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अध्यक्ष, निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल की भर्त्सना.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगी -

(क) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015), दिनांक 27 अप्रैल, 2015,

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015), दिनांक 27 अप्रैल, 2015; तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015), दिनांक 08 जून, 2015.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014; तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का दसवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014

पटल पर रखेंगे.

(3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (9 जुलाई, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक) पटल पर रखेंगी.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के तहत बनाये गये नियम, 2008 की धारा 22 की अपेक्षानुसार निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनसम्पर्क मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक-एफ-2-8-2012-सात-शा-6, दिनांक 10 मई, 2013; एवं

(ख) क्रमांक-एफ-2-1-2013-सात-शा-6, दिनांक 26 मार्च, 2015

पटल पर रखेंगे.

(7) श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338-क की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 से 2013 तक पटल पर रखेंगे.

(9) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री पर्यटन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

5. फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नर्मदा नदी में शहरों से गंदगी एवं उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर एवं शाजापुर जिले में कृषक अनुदान योजनान्तर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, याचिका समिति का दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर जिले के –
(क) ग्राम जमाहर में पक्की नाली निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम वैहरा के शा.मा. वि. को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(2) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम मझगंवा से मदनपुर तक रोड़ निर्माण एवं नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बधपुरा जखौना में विद्युत उप केन्द्र खोले जाने,
(4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के चूदी नदी में बांध का निर्माण किये जाने,
(5) श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम मकरला की इंदिरा आवास बस्ती में विद्युत व्यवस्था किये जाने,
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बम्हौरीकला के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम भरहुत के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(8) डॉ. गोविन्द सिंह,सदस्य, भिण्ड जिले के सोनभद्रिका नदी पर पुल निर्माण किये जाने, तथा
(9) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के ग्राम पंचायत कस्बारेंज तहसील मुंगावली के ग्राम सामले पंचायत की सम्पत्ति डिपो भवन की किरायादारी समाप्त कर भवन पंचायत को सौंपे जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

12. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2015-2016 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(3) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

15. वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

16. वर्ष 1997-1998 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 1997-1998 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

17. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में आंधी, तूफान एवं भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलने के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 जुलाई, 2015